

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
मांग संख्या 5
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	143.96	...	143.96	172.55	0.90	173.45	188.51	488.37	676.88	136.82	122.29	259.11
वसूलियां	-0.02	...	-0.02
प्राप्तियां	-104.25	...	-104.25
निवल	143.94	...	143.94	172.55	0.90	173.45	84.26	488.37	572.63	136.82	122.29	259.11
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	20.85	...	20.85	21.69	0.86	22.55	26.55	1.63	28.18	29.47	2.21	31.68
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. रसायन संबर्द्धन और विकास स्कीम	2.99	...	2.99
3. पेट्रोरसायनों का संबर्द्धन	24.22	...	24.22
4. पेट्रोरसायनों की नयी स्कीमें	22.00	...	22.00	18.00	...	18.00	25.00	...	25.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	27.21	...	27.21	22.00	...	22.00	18.00	...	18.00	25.00	...	25.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
5. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी सहायता	21.05	...	21.05	23.36	0.04	23.40	18.31	...	18.31	25.33	0.02	25.35
स्वायत्त निकाय												
6. केन्द्रीय पेट्रो-रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान	63.81	...	63.81	92.88	...	92.88	7.28	...	7.28	36.37	...	36.37
7. कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	11.02	...	11.02	12.62	...	12.62	14.12	...	14.12	20.65	...	20.65
जोड़-स्वायत्त निकाय	74.83	...	74.83	105.50	...	105.50	21.40	...	21.40	57.02	...	57.02
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. पीएसयू के संबंध में ऋणों को बढ़े खाते डालना/माफ करना												
8.01 एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	104.25	...	104.25
	-104.25	...	-104.25
<i>निवल</i>
9. पीएसयू को ऋण												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9.01 एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	120.06	120.06
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	120.06	120.06
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	95.88	...	95.88	128.86	0.04	128.90	39.71	...	39.71	82.35	120.08	202.43
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
10. एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	486.74	486.74
कुल जोड़	143.94	...	143.94	172.55	0.90	173.45	84.26	488.37	572.63	136.82	122.29	259.11
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	123.09	...	123.09	148.66	...	148.66	55.91	...	55.91	104.85	...	104.85
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	20.85	...	20.85	21.69	...	21.69	26.55	...	26.55	29.47	...	29.47
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.90	0.90	...	1.63	1.63	...	2.23	2.23
4. रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	486.74	486.74	...	120.06	120.06
जोड़-आर्थिक सेवाएं	143.94	...	143.94	170.35	0.90	171.25	82.46	488.37	570.83	134.32	122.29	256.61
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	2.20	...	2.20	1.80	...	1.80	2.50	...	2.50
जोड़-अन्य	2.20	...	2.20	1.80	...	1.80	2.50	...	2.50
कुल जोड़	143.94	...	143.94	172.55	0.90	173.45	84.26	488.37	572.63	136.82	122.29	259.11

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
एचआईएल इंडिया लिमिटेड												
1. एचआईएल इंडिया लिमिटेड	3.00	3.00	486.74	...	486.74	120.06	1.00	121.06
जोड़-एचआईएल इंडिया लिमिटेड	3.00	3.00	486.74	...	486.74	120.06	1.00	121.06
जोड़	3.00	3.00	486.74	...	486.74	120.06	1.00	121.06

1. **सचिवालय:** सचिवालय से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान आवश्यक है।
4. **पेट्रोरसायनों की नयी स्कीमें:** यह प्रावधान विभिन्न गतिविधियों के लिए है जैसे पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पार्क की स्थापना और पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना। रासायनिक संवर्धन और विकास उप-योजना (सीपीडीएस) को एनएसपी योजना के तहत विलय कर दिया गया है। इस घटक के तहत किया गया प्रावधान रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रचार और विकास के लिए जागरूकता पैदा करने और सूचना का प्रसार करने के लिए है।
5. **भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी सहायता:** वित्तीय वर्ष 2024-25 में भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि भुगतान एवं भोपाल कल्याण आयोग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु ₹ 25.35 करोड़ का प्रावधान है।
6. **केंद्रीय पेट्रो-रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान:** यह प्रावधान सीआईपीईटी योजना के अंतर्गत अकादमियों में क्षमता संवर्धन तथा कौशल विकास एवं अनुसंधान एवं अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी सहायता में क्षमता संवर्धन के लिए किया गया है।
7. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** यह प्रावधान सामान्य सहायता अनुदान (सामान्य, वेतन तथा पूंजी आस्तियां) के लिए है।
- 8.01. **पीएसयू के संबंध में ऋणों को बट्टे खाते डालना/माफ करना:** एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड की 104.25 करोड़ रुपये की ऋण राशि को बट्टे खाते में डाला/माफ किया गया है।
- 9.01. **एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड:** एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड की दो इकाइयों यानी उद्योगमंडल और बठिंडा इकाइयों को बंद करने के लिए 87.56 करोड़ रुपए तथा प्रधान कार्यालय, रसायनी इकाई और पांच बिक्री कार्यालयों में कर्मचारियों को वेतन और अन्य वैधानिक भुगतान के लिए 32.50 करोड़ रुपए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम रूप में स्वीकृत की गई। भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में स्वीकृत 120.06 करोड़ रुपये का यह प्रावधान, वित्त वर्ष 24-25 के लिए अनुदान की मांगों को संसद द्वारा पारित किए जाने और संबंधित विनियोग अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद भारत की आकस्मिक निधि में वापस आ जाएगा।